न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 02/2020

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 मुकेश कुमार पुत्र जेठमल सोनी जाति सोनी निवासी जैन मन्दिर के पास, सिणधरी तहसील सिणधरी 2 मोतीलाल पुत्र प्रभूलाल सोनी जाति सोनी निवासी सुनारों का वास, बाडमेर जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर जरिये सरपंच 2 किशन पुत्र गोपा जाति नाई निवासी लालाणियों की ढाणी बाडमेर आगोर 3 मदनलाल पुत्र प्रेमचन्द जाति सोनी निवासी ढाणी बाजार 5 तुलसीदेवी पत्नी छगनलाल फौत के वारिसान 4/1 महेश कुमार 4/2 दिनेश कुमार 4/3 जितेन्द्र कुमार पिसरान छगनलाल जाति सोनी निवासी रामदेव जी के मन्दिर के पास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री वीरमाराम चौधरी, वकील अपीलकर्ता।

2. श्री महेन्द्र कुमार रामावत, वकील उतरदाता संख्या 03।

आदेश

दिनांक 13-08-21

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण एवं उतरदाता संख्या 03 व 04 द्वारा उतरदाता संख्या 02 से क्रयसुदा भूमि ग्राम लालाणियों की ढाणी (बाडमेर आगोर) तहसील बाडमेर में आई हुई है। उक्त भूमि जरिये बेचान दस्तावेज संख्या 2009000120 दिनांक 16.01.2009 से खेत खसरा संख्या 869 रकबा 02.01 बीघा में से रकबा 0.02 बीघा तथा खेत खसरा संख्या 1407/867 में से 01.18 बीघा कुल रकबा 02.00 बीघा भूमि एवं अपीलान्ट संख्या 02 मोतीलाल द्वारा जरिये बेचान दस्तावेज संख्या 2009000121 से दिनांक 16.01.2009 को खेत खसरा संख्या 869 में से रकबा 0.01 बीघा तथा खसरा संख्या 1407/867 में से 0.19 बीघा कुल रकबा 01.00 बीघा भूमि, जो संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाई गई है, क्रय की गई थी। उक्त बेचान के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तकरण खोला उसमे खसरा संख्या 869 एवं 1407/867 दोनों खसरों का नामान्तकरण में अंकन करते हुए भरा जाकर पारित करना था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा भूलवश मात्र खसरा संख्या 1407/867 में ही नामान्तकरण की कार्यवाही की गई, जो अशुद्ध है, जिसे निरस्त कर शुद्ध नामान्तकरण दोनों ही खसरों में पारित किये जाने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदाता संख्या 03 के अतिरिक्त अन्य समस्त उतरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वकील उत्तरदाता संख्या 03 ने उपस्थित होकर अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए काउन्टर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि के खसरा संख्या 1407/867 में 0.19 बीघा व खेत खसरा संख्या 869 में 0.01 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की गई थी, परन्तु नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 05.02.2009 को पारित किया गया उसमे उतरदाता संख्या 03 का उक्त दोनों खसरों के स्थान पर केवल खेत खसरा

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 1407 / 867 में ही नामान्तकरण पारित किया गया जो अशुद्ध होने से निरस्त कर शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्टगण एवं उतरदाता संख्या 03 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान मौजा बाडमेर आगोर के खसरा संख्या 1407 / 867 तथा 869 दोनो ही खसरों की भूमि क्रय की गई थी परन्तु नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 05.02.2009 पारित किया गया व नामान्तकरण केवल खसरा संख्या 1407 / 867 में ही पारित किया गया। खसरा संख्या 869 में क्रय की गई भूमि में नामान्तकरण पारित नही किया गया, जो अशुद्ध है, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। पारित नामान्तकरण रजिस्टर्ड बेचान के अनुरूप के नही है। लिहाजा अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपील अपीलकर्तागण मय उतरदाता संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अपील स्वीकार की जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 1407 / 867 में पारित नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 05.02.2009 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर [redacted] को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा बाडमेर आगोर के खसरा संख्या 1407 / 867 व खसरा संख्या 869 में रजिस्टर्ड बेचान के दस्तावेजात के मद्देनजर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 13/08/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 02/2020 अनवान मुकेश कुमार बनाम सरपंच ग्रा.पं.बाडमेर आगोर	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
८.०९.२१	अपीलकर्ता द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी का प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि श्रीमान् के न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण संख्या 02/2020 अनवान मुकेश कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर वगैराह में पारित आदेश दिनांक 13.08.2021 पारित करते लिपिकीय त्रुटी से ग्राम लालाणियों की ढाणी के स्थान पर ग्राम बाडमेर आगोर अंकित हो गया है जो अशुद्ध है जिसे शुद्ध किया जावें। अपीलकर्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हस्तगत प्रकरण संख्या 02/2020 अनवान मुकेश कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर वगैराह में पारित आदेश दिनांक 13.08.2021 पारित करते समय ग्राम लालाणियों की ढाणी के स्थान पर ग्राम बाडमेर आगोर अंकित दिया गया है। जमाबन्दी के निरीक्षण से ~~अवलोकन~~ से ज्ञात होता है कि सही नाम ग्राम लालाणियों की ढाणी है, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 151, 152 सीपीसी के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील संख्या 02/2020 अनवान मुकेश कुमार बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर वगैराह में पारित आदेश दिनांक 13.08.2021 में पृष्ठ संख्या 02 पर पंक्ति संख्या 05, 12 व 15 में बाडमेर आगोर के स्थान पर ग्राम लालाणियों की ढाणी शुद्ध किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बाडमेर	